



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-18.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 43/2026 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.02.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री विकाश पुत्र विनोद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.वंश पुत्र मधू व 2.गौरव पुत्र रामभगत द्वारा वादी व सचिन पुत्र कालूराम के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से वंश ने हाथ में लिये तमंचे से फायर किया गया, जो सचिन के हाथ की ऊंगली में लग गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त वादी की तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 43/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 43/2026 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

गौरव पुत्र रामभगत निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 मोहित थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 18.02.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 98/2026 धारा
190,191(2),191(3),109(1),115(2),281,351, बीएनएस में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.02.2026 को थाना बडौत पर आवेदक श्री प्रदीप सिंह पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम -गुराना थाना-बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.राहुल, 2.वैभव पुत्रगण सुखमेन्द्र, 3.सुखमेन्द्र पुत्र श्याम निवासी गुराना थाना बडौत जनपद बागपत व 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपनी कार थार बिना नम्बर को तेजी व लापरवाही से आवेदक की मोटरसाईकिल में टक्कर मार देना तथा आवेदक व उसके भाई के साथ जान से मारने



की नियत से लाठी-डण्डो, लोहे की रॉड आदि से मारपीट कर घायल करना व जान से मारने की नियत से तमन्चो से फायर करना तथा जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 190,191(2),191(3),109(1), 115(2),281,351, बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 98/2026 धारा 190,191(2),191(3),109(1), 115(2),281,351, बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।


गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. वैभव पुत्र सुखमेन्द्र निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत ।

2-का0 825 राजकुमार थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 18.02.2026

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुशील कुमार पुत्र नत्थू सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मयंक प्रताप थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 प्रियांशु थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-का0 478 अजीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत